

(भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं.22012/01/2020-अ.भा.से.-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 02 जून, 2022

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं हरियाणा, उड़ीसा और पंजाब की राज्य सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री अजीत बालाजी जोशी, आईएएस (हरियाणा:2003) को सुश्री गौरी पाराशर जोशी, आईएएस (उड़ीसा:2009) से विवाह करने के आधार पर माननीय कैट, चंडीगढ़ बेंच के ओ.ए. सं. 2020 के 81 में दिनांक 13.10.2020 के आदेश के अनुपालन में क्रमशः हरियाणा संवर्ग और उड़ीसा संवर्ग से एक तीसरे संवर्ग अर्थात् पंजाब संवर्ग में स्थानांतरित करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिन्टो रोड,

नई दिल्ली-110002